सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना – दसम
(अवधि 15/07/2015 से 14/07/2016)

क्र.सं.	योजना का नाम	सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना
1	योजना का संक्षिप्त परिचय	इस योजना में दुग्ध उत्पादक को परिवार स्वंय (पति / पत्नी) एवं दो आश्रित बच्चे हेतु 1818.30 रूपये एवं एकल परिवार हेतु 1134.30 रूपये प्रति व्यक्ति की वार्षिक प्रीमियम की दर पर यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेंस कम्पनी (दुग्ध संघो द्वारा किये गये एम.ओ.यू के अनुसार) द्वारा बीमारियों के इलाज पर हुए एक लाख रूपये साधारण एवं दो लाख रूपये तक गंभीर बीमारियो हेतु खर्च का पुर्नभरण / वहन किया जाता है। प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा आरसीडीएफ, 20 प्रतिशत दुग्ध संघ, 30 प्रतिशत सक्षम दुग्ध समिति, एवं शेष राशि सदस्य दुग्ध उत्पादक द्वारा वहन की जाती है।
2	प्रारम्भ होने का वर्ष	2012-13
3	लाभान्वित वर्ग	समिति/प्रस्तावित दुग्ध समिति पर दूध देने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्य, पति / पत्नी, दो आश्रित बच्चे। आरसीडीएफ / दुगध संघो के सेवानिवृत्त कमर्चारी / अधिकारी।
4	आयु	3 माह से 65 वर्ष
5	देय सुविधाएं	योजनान्तर्गत पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों को लाभ निम्नानुसार है:- राजकीय चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की 24 घण्टे से अधिक भर्ती के समय हुए खर्चो की भरपाई की जाती है। डायलासिस, कीमोथैरपी रेडियोथैरेपी, आई सर्जरी, दुर्घटना की स्थिति मे डेन्टल सर्जरी, लिथोट्रिप्सी (किडनी स्टोन रिमूवल) डी एण्ड सी, टोन्सीलैक्टोमी, कुत्ते का काटना, सांप का काटना बीमारियो के मामले मे 24 घण्टे से अधिक भर्ती का समय आवश्यक नही है। यह डे केयर चिकित्सा मानी जावेगी । अस्पताल में भर्ती होने के पहले 7 दिन तथा छुट्टी होने के बाद 15 दिनों तक अधिकतम एक लाख

		रूपये की सीमा तक के चिकित्सा खर्चे की भरपाई का प्रावधान है। विशिष्ट बीमारियों जैसे – हृदय, केन्सर गूर्दे एवं न्यूरोलोजीकल बीमारियो की मेडिकल एवं सर्जिकल चिकित्सा स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सिर्रोसिस मेनिन्जाईटिस एवं मुख्य अंग किडनी, फैंफेडे, पेन्क्रियाज, बोन मेरो प्रत्यारोपण, न्यूरोलोजी, घुटने एवं कूल्हे का प्रत्यारोपण आदि के लिए बीमित राशि दुगनी अर्थात 2 लाख रूपये तक है।
6	आवेदन कहां किया जावें	संबंधित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति / जिला दुग्ध संघ के माध्यम से बीमा कम्पनी में।
7	सम्पर्क सूत्र	सचिव दुग्ध समिति / जिला दुग्ध संघ का नामित नोडल अधिकारी
8	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• सदस्य का नाम एवं आवासीय पता • जन्म तिथि एवं आयु • पति/पत्नी एवं दो बच्चों का नाम एवं आयु जो सदस्य पर पूर्ण आश्रित हो (3 माह से 21 वर्ष तक) तथा दो पासर्पोट साइज फोटो
9	दावा भुगतान आवेदन / चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का तरीका	दुग्ध समिति / जिला दुग्ध संघ के माध्यम से संबंधित बीमा कम्पनी को दावा के पुर्नभरण हेतु दावा प्रपत्र में आवेदन किया जाता है। दावा आवेदन पत्र मय समस्त पत्रादि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 45 के दिवस के अन्दर टीपीए / बीमा कम्पनी मे प्राप्त होना आवश्यक है। अधिसूचित निजी चिकित्सालयो मे नकदविहिन सुविधा से चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते है राजकीय चिकित्सालयो मे चिकित्सा व्यय के पुर्नभरण हेतु दुग्ध संघ के माध्यम से दावा बिल आदि प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है । क्लेम फार्म आदि दुग्ध संघ मे उपलब्ध है।